सलाह!

सुरक्षा है सबसे महत्वपूर्ण

- आपकी सुरक्षा आपके हाथ
- बिजली वितरण नेटवर्क को कोई अधिकृत व प्रशिक्षित व्यक्ति ही हाथ लगा सकता है
- अनाधिकृत व अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करने पर सुरक्षा को गंभीर खतरा

नई दिल्लीः 5 अप्रैल, 2013। हमें पता चला है कि हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं को बिजली वितरण नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करने, और डिस्कनेक्ट किए जा चुके कनेक्शनों से, अवैध रूप से बिजली लेने के लिए उकसाया जा रहा है। बिजली वितरण नेटवर्क को कोई अधिकृत व प्रशिक्षित व्यक्ति ही हाथ लगा सकता है। यदि कोई अनाधिकृत व अप्रशिक्षित व्यक्ति इस नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करता है, तो इससे जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां एक बार फिर अपने उपभोक्ताओं से अनुरोध करती हैं कि वे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मीटर व अन्य बिजली उपकरणों को हाथ लगाने की अनुमति न दें।

उल्लेखनीय है कि हमारे नेटवर्क के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने पर, संबंधित उपभोक्ता विभिन्न कानूनों के तहत जिम्मेदार होंगे।

दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की शिकायतों व जिज्ञासाओं के समाधान के लिए बेहतरीन व्यवस्था है। किसी भी अनुरोध/ जिज्ञासा/ शिकायत के लिए, उपभोक्ता अपनी बिजली कंपनी के चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर (बीआरपीएल– 399 99 707, बीवाईपीएल– 399 99 808, टीपीडीडीएल– 661 11 912) पर फोन कर सकते हैं। अगर कोई उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह सीजीआरएफ यानी कंज्यूमर ग्रिवेंस रिड्रेसल फोरम से संपर्क कर सकता है। इसके बाद भी अगर वह संतुष्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी ओंबड्समैन के ऑफिस से संपर्क कर सकता है।

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ने अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी सेफ्टी के साथ किसी भी तरह का समझौता न करें और कानून की नजर में अवैध गतिविधियों से दूर रहें।